

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-।/ ७३३२ २५०८ दिनांक: ३-१-२०१६

आदेश संख्या: ३३४/२०१३-१४

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 30 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकारों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण आवश्यक अस्थाई आधार पर सङ्गत लेखाधिकारी ग्रेड-१ के पद पर चयन करते हुए इनके चयन के नतीजों को बन्द लिफाफे में रखा गया था। अब इनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही में आरोप मुक्त कर देने/विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने के कारण डीपीसी अनुशंसा के अनुसार बन्द लिफाफे में रखे गये सहायक लेखाधिकारी के पद पर चयन के नतीजे को खोलकर, उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें कार्यभार संभालने की दिनांक से 6 माह अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति रो चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-१ के पद पर वेतन श्रंखला (पी.बी.2) 9300-34800 ग्रेड-४ (रूपये 4800/-) में एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है:—

क्र.स.	लिंक नं०	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	प्रवर्ग	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1.	604	श्री भागीरथ सिंह	-	11.07.58	
2.	2873	श्री विनोद कुमार गुप्ता	-	10.01.58	
3.	9086	श्री अशोक कुमार वर्मा	अजा	28.02.66	

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन की जाती है:—

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।

6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियों केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व रक्तः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।
8. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता, एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विगागीय जाँच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्त प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से रामाप्त समझी जावेगी/ हो जावेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 18.09.2013 एवं प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


 (वीरबाला जोशी)
 निदेशक


क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 7397-7407 दिनांक: 9-1-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....

3. श्री लेखाकार, कार्यालय

4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीसीईएस में एन्ट्री करने हेतु।
5. सहायक निदेशक, अलेसे द्वितीय।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


 (क.एम. मीणा)
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- II)